(8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ.पी. बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 14/2011
तारीख दायरा 07.03.2011
तारीख निर्णय 5/3/13

वादीः– तेजा पुत्र चतरभुजजी जाति साद
निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीः– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

वाद अन्तर्गतधारा 88,188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं
सपठित धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितः–
1– वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल सोनी
2– प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर

–: निर्णय :–

उपरोक्त वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी के वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सरहद ग्राम पुराडा तहसील सुमेरपुर में स्थित पुराने खसरा नं. 252 रकबा 227 बीघा 17 विस्वा किस्म बारानी तृतीय में से 4 बीघा 3 विस्वा जिसके खसरा नं. 252/2 थे, दिनांक 30.04.1976 को भू–आवंटन कमेटी द्वारा वादी को आवंटित हुई, जिसके वर्तमान खसरा नं. 575 रकबा 3.11 हैक्टर है, जिस पर वक्त आवंटन से वादी का आज तक लगातार शांति पूर्वक कब्जा कास्त रहने से खातेदारी घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्त करने बाबत् पेश किया जिसे पंजीबद्ध किया जाकर पत्रावली पर दोनो पक्षों के साक्ष्य–सबूत इत्यादि रेकर्ड पर लिए जाकर एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2007 को अंतिम निर्णय पारित कर वादग्रस्त भूमि संबंधी साक्ष्य–सबूत के अभाव में वादी का उल्लेखित वाद खारिज किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के यहां एक अपील सं.38/2009 दायर करवायी जिसका निर्णय दिनांक 24.06.2010 को हुआ व माफिक निर्णय उक्त अपील स्वीकार कर इस न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वादी(अपीलांट) को साक्ष्य सबूत अर्थात प्रश्नगत् भूमि के बारे में मूल आवंटन आदेश एवं अन्य साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर और दिया जाकर प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिसम्मत् आदेश/निर्णय पारित करे। तद्परान्त माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णयानुसार वादी का कथित वाद पुनः पंजीबद्ध किया

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जि पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जाकर वादी एवं उनके अधिवक्ता को प्रश्नगत् भूमि के संबंधित वाद तथ्यों की पुष्टि व समर्थन में मूल आवंटन आदेश एवं अन्य साक्ष्य सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया, जिस पर वादी पक्ष की ओर से शहादत में स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश हुआ जिसके अन्तर्गत सनद की छाया प्रति प्रदर्श–6ए व रसीद की छाया प्रति प्रदर्श–7ए पेश की गई, इसके अलावा हल्का पटवारी पोमावा के बयान कलमबद्ध करवाये गये। वादी अधिवक्ता ने मौखिक बहस की एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित बहस पेश हुई।

हमने, उभयपक्षीय बहस बिन्दुओं पर मनन किया तथा साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण किया। प्रश्नगत् भूमि के बारे में वादीपक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य–सबूत में वादी स्वयं के बयान पी.डब्लू.1, गवाह श्री जेठूसिंह के बयान पी.डब्लू.2, आवंटन आदेश की छाया प्रति प्रदर्श–1ए, जमाबंदी संवत् 2057–60 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी संवत् 2040–42 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–5, सनद की छाया प्रति प्रदर्श–6ए एवं रसीद की छाया प्रति प्रदर्श–7ए इत्यादि पर विचारण करने के पश्चात प्रश्नगत् भूमि वक्त सेटलमेंट व इससे पूर्व एवं आज तक राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रही है, व वादी का प्रश्नगत् भूमि पर लगातार व शांतिपूर्वक कब्जा कास्त होना भी प्रमाणित नहीं होता है, इसके अलावा उल्लेखित निर्णित अपील सं. सं.38/2009 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्देशानुसार प्रश्नगत् भूमि के आवंटन संबंधी मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.04.1976 या इसकी प्रमाणित प्रति भी वादी ने पत्रावली पर आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवायी है। इस प्रकार वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णयानुसार निर्देशों की पालना करने में असक्षम रहा है तथा अपने वाद तथ्यों को भी साबित कराने में असक्षम रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत् भूमि बाबत वादी का तथाकथित वाद परिपोषणीय व चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

–: आदेश:–

अतः परिणामतः वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सरहद ग्राम पुराडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वर्तमान खसरा नं. 575 रकबा 3.11 हैक्टर बाबत् खातेदारी घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का परिपोषणीय व चलने योग्य नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली) (राज.)

निर्णय आज दिनांक 5/3/13 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली) (राज.)

Scanned by CamScanner